दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय घोषित: 20.12.2013

मू.वि.या. सं. 1278/2013

फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया .....याचिकाकर्ता

बनाम

मेसर्स प्रताप राइस एंड जनरल मिल्स .....प्रत्यर्थी

इस मामले में पेश हुए अधिवक्ताः
याचिकाकर्ता के लिएः श्री एस. कुमार पट्टजोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री मनोहर लाल शर्मा, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी के लिएः

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर

न्या. श्री राजीव शकधर

अंतर.आ. सं. 20809/2013 (दाखिल करने में 1 दिन की देरी की माफी) और 20811/2013 (पुनः दाखिल करने में 108 दिनों की देरी की माफी)

1. ये दो आवेदन हैं जो याचिकाकर्ता, अर्थात फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (संक्षेप में एफसीआई) द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 34 के तहत याचिका दाखिल करने में हुई देरी के लिए माफ़ी मांगने और उसके बाद, उक्त याचिका को पुनः दाखिल करने के लिए

दायर किए गए हैं। एफसीआई के अनुसार याचिका दाखिल करने में एक दिन की देरी हुई है और इसे पुनः दाखिल करने में 108 दिनों की देरी हुई है।

2. अंतर.आ. सं. 20809/2013 में किए गए कथनों से पता चलता है कि 15.03.2013 का आक्षेपित पंचाट एफसीआई को 01.04.2013 को प्राप्त हुआ था। एफसीआई का मामला यह है कि याचिका 01.07.2013 को दायर की गई थी।

2.1 जहां तक इस न्यायालय की रजिस्ट्री का संबंध है, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो इस तथ्य को स्थापित करती है कि याचिका शुरू में 01.07.2013 को दायर की गई थी। रजिस्ट्री ने याचिका की जांच करने पर 02.07.2013 को अपनी आपत्तियां दर्ज की और उन्हें उसी तिथि को एफसीआई के अधिवक्ता को सौंपने के लिए फाइलिंग काउंटर पर वापस कर दिया। रजिस्ट्री द्वारा आठ (8) आपत्तियां सूचीबद्ध की गईं।

2.2 एफसीआई के अधिवक्ता ने 26.07.2013 को याचिका पुनः दाखिल की। जांच करने पर रजिस्ट्री ने पाया कि कोई भी आपत्ति नहीं हटाई गई थी तथा रजिस्ट्री ने पहले बताई गई आपत्तियों के अलावा एक नई आपत्ति उठाई थी। जांच 26.07.2013 को ही की गई तथा याचिका 26.07.2013 को फाइलिंग काउंटर पर वापस कर दी गई।

2.3 इसके बाद एफसीआई के अधिवक्ता ने 30.07.2013 तथा 03.08.2013 को याचिका पुनः दाखिल की। याचिका 05.08.2013 को फाइलिंग काउंटर पर वापस

कर दी गई। इसे 16.12.2013 को पुनः दाखिल किया गया। जांच के पश्चात इसे 19.12.2013 को सूचीबद्ध करने के लिए मंजूरी दे दी गई।

3. उपर्युक्त से यह पता चलता है कि जहां तक अंतर.आ. सं. 20809/2013 का संबंध है, उसे अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि एफसीआई द्वारा प्रारंभिक फाइलिंग समय पर प्रतीत होती है, यदि सीमा अवधि की गणना उस तिथि से की जाती है जब उसने दावा किया था कि उसे पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त हुई थी। तदनुसार, उक्त अंतर.आ. को अनुमति दी जाती है।

3.1 हालांकि, जहां तक पुनः दाखिल करने में देरी को माफ करने का सवाल है, एफसीआई का यह कहना है कि उसके अनुसार भी 108 दिनों की देरी हुई है, हालांकि, इस न्यायालय की रजिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एफसीआई ने आपत्तियों को दूर करने में 168 दिन लगाए और यदि उसे 30 दिनों का श्रेय दिया जाए, जो कि उच्च न्यायालय नियम, 1967 (संक्षेप में नियम) के अध्याय 1 (खंड V) की धारा 5 के तहत आपत्तियों को दूर करने के लिए अनुमेय अधिकतम संचयी अवधि है, तो पुनः दाखिल करने में शुद्ध देरी 138 दिनों की है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपर्युक्त नियमों के तहत, याचिका दायर करने के बाद, रजिस्ट्री द्वारा बताए गए दोषों को दूर करने के लिए एक पक्षकार को एक बार में सात दिन दिए जाते हैं।

3.2 इसमें कोई दो राय नहीं है कि न्यायालय को पुनः दाखिल करने में देरी को माफ करने का अधिकार है, बशर्ते कि कोई लापरवाही न हो और देरी को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो। कारण की पर्याप्तता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। ***[देखें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स रविंदर कपूर; मू.वि.या. सं. 477/2013 और अंतर.आ. सं. 7795/2013 और 7796/2013 में दिनांक 23.09.2013 का निर्णय; जैसा कि आ.प्र.अ.(मूल पक्ष) सं. 478/2013 में खंड न्यायपीठ के दिनांक 06.11.2013 के आदेश द्वारा पुष्टि की गई है जिसका शीर्षक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स रविंदर कपूर है; कार्यकारी अभियंता (सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण) बनाम श्री राम कंस्ट्रक्शन कंपनी 2010 (120) डीआरजे 615; दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड व अन्य बनाम हाइथ्रो इंजीनियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड 2012 (3) आर्ब एल.आर. 349 (दिल्ली); तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम मेसर्स दुर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी; आ.प्र.अ. (मूल पक्ष) सं. 485-86/2011 में दिनांक 07.11.2013 को पारित निर्णय]।***

3.3 'पर्याप्त कारण' की अभिव्यक्ति, जो विलम्ब की क्षमा के लिए अपनाया गया उपाय है, स्वयं ही क्षमा मांगने वाले आवेदक की ओर से लापरवाही या निष्क्रियता की अनुपस्थिति को पूर्व-मान्यता देती है। यह अभिव्यक्ति 'कानूनी' और 'पर्याप्त कारणों' की उपस्थिति को दर्शाती है और इसलिए, यह अनिवार्य है कि आवेदक, सद्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करने के अलावा, यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि उसने अनावश्यक देरी के बिना न्यायालय में आने के

लिए अपनी शक्ति और नियंत्रण के भीतर सभी संभव कदम उठाए थे। न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कारण पर्याप्त है या नहीं, जिसके द्वारा पक्षकार यह प्रदर्शित करने में सक्षम होता है कि वह उचित सावधानी और ध्यान के बावजूद देरी से बच नहीं सकता था। ***[देखें बलवंत सिंह (मृत) बनाम जगदीश सिंह एवं अन्य (2010) 8 एससीसी 685]।***

4. पुनः दाखिल करने में देरी की माफी के मुद्दे की जांच करते समय, अदालत के सामने अक्सर यह महत्वपूर्ण प्रश्न आता है: देरी को माफ करने का उपाय क्या होना चाहिए? क्या यह शामिल अवधि की अवधि पर निर्भर होना चाहिए? या देरी की माफी मांगने के लिए दिए गए स्पष्टीकरण की वास्तविक/गुणवत्ता पर।

4.1 मेरी राय में, दोनों कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा, विशेष रूप से अधिनियम के संदर्भ में, जिस पर हम वर्तमान में विचार कर रहे हैं और यूओआई बनाम पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी (2001) 8 एससीसी 470 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, जो स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि एक बार अधिनियम की धारा 34(3) के तहत याचिका दायर करने के लिए धारा 34 के तहत प्रदान की गई अवधि समाप्त हो जाने पर, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। वास्तव में न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 34(3) के तहत प्रदान की गई अवधि के संबंध में देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

4.2 पुनः दाखिल करने में बिताया गया लंबा समय अपने आप में पंचाट को चुनौती देने के इच्छुक पक्षकार की ओर से लापरवाही को प्रदर्शित करेगा; जब तक कि कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण न दिया जाए। यह इस तथ्य को देखते हुए और भी अधिक है कि एक बार अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका दायर की जाती है, तो वाद का दूसरा पक्षकार, जो पंचाट को निष्पादित करना चाहता है, अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों के आधार पर ऐसा करने से वैधानिक रूप से प्रतिबंधित है। इस प्रकार सफल पक्षकार न्यायनिर्णयन के लाभों से वंचित हो जाता है।

4.3 एक और स्थिति हो सकती है, जहां पुनः दाखिल करने में देरी की अवधि बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन दिए गए स्पष्टीकरण झूठे और मनगढ़ंत हैं। ऐसे मामलों में भी, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि पुनः दाखिल करने में देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए। मेरे विचार में, इसका कारण काफी सरल है। विधायिका ने अधिनियम में समय के संदर्भ में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय से व्यथित पक्षकार को अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ प्रदान की है। मेरे विचार में, उसके बाद तीन (3) महीने और तीस (30) दिन की अवधि, आमतौर पर व्यथित पक्षकार को यह निर्णय लेने के लिए पर्याप्त छूट प्रदान करती है कि वह अधिवक्ता की सहायता से या उसके बिना, निर्णय को चुनौती देना चाहता है या

नहीं, और साथ ही आपत्तियों को दूर करना चाहता है ताकि वह न्यायालय में सूचीबद्ध होने के लिए तैयार हो सके।

5. उपरोक्त के संदर्भ में, मैं वर्तमान मामले में एफसीआई द्वारा पुनः दाखिल करने के लिए दिए गए स्पष्टीकरणों की जांच करना चाहता हूं। अंतर.आ. सं. 20811/2013 में एक विलक्षण पैराग्राफ है, जो स्पष्ट करता है कि देरी का कारण यह था कि "काउंसलर के क्लर्क द्वारा अनजाने में पेपर बुक को फाइल में रख दिया गया था और उसका पता नहीं लगाया जा सका। अब पेपर बुक का पता लगा लिया गया है और उसे पुनः दाखिल किया जा रहा है"।

5.1 ऊपर दी गई तारीखों से यह स्पष्ट है कि रजिस्ट्री द्वारा 26.07.2013 को दूसरी बार आपत्तियों के साथ याचिका वापस करने के बाद (सभी आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया और एक नई आपत्ति जोड़ी गई), एफसीआई ने लगभग पांच (5) महीने की अवधि तक आपत्तियों को नहीं हटाया और 16.12.2013 को ही याचिका पुनः दाखिल की। यद्यपि अंतर.आ. सं. 20811/2013 के साथ अधिवक्ता का शपथपत्र संलग्न है, लेकिन दुर्भाग्य से यह विश्वास पैदा नहीं करता। इसका कारण यह है कि देरी के लिए एफसीआई के अधिवक्ता के क्लर्क को दोषी ठहराया गया है, लेकिन आवेदन के साथ क्लर्क का शपथपत्र संलग्न नहीं है। इसमें उस तारीख का कोई संदर्भ नहीं है जिस दिन फाइल फिर से सामने आई, यानी एफसीआई के अधिवक्ता द्वारा इसका पता लगाया गया। ऐसा लगता है कि एफसीआई और उसके अधिवक्ता दोनों ही

मामले को भूल गए थे, जब प्रारंभिक फाइलिंग हो गई थी। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि एफसीआई ने अपने अधिवक्ता से यह क्यों नहीं जानना चाहा कि जुलाई, 2013 में दायर की गई उसकी याचिका की स्थिति क्या है। अंतर.आ. सं. 20811/2013 एफसीआई की ओर से अपने मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने में लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है।

5.2 मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हूं, क्योंकि आज मेरे बोर्ड में चार अन्य मामले दायर किए गए हैं (शीर्षक मामले के अतिरिक्त), जिनमें से तीन मामलों में पुनः दाखिल करने में देरी के लिए माफी मांगने के आवेदन हैं, जहां देरी 59 दिनों से लेकर 161 दिनों तक है और एक मामले में, जो कि मू.वि.या. सं. 1279/2013 है, वास्तव में, प्रारंभिक दाखिल करने में ही 70 दिनों की देरी है और परिणामस्वरूप, इसे समय रहते खारिज करना पड़ा। देरी के लिए माफी मांगने के लिए दिए गए कारण समान हैं (मू.वि.या. सं. 1279/2013 को छोड़कर), अर्थात, जारी किए गए मामले की फाइल क्लर्क द्वारा खो दी गई थी। मू.वि.या. सं. 1279/2013 में, जिसे समय रहते खारिज कर दिया गया था, कारण यह बताया गया था कि अधिवक्ता का कार्यालय ताला लगाकर बंद था क्योंकि उसमें दीमक लग गई थी। प्रथम दृष्टया, देरी के लिए दिए गए कारण औपचारिक हैं और वे विश्वास पैदा नहीं करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

5.3 हालांकि, मैंने प्रत्येक याचिका और उसके साथ दिए गए आवेदनों के संबंध में अलग-अलग आदेश पारित किए हैं क्योंकि इसमें शामिल तिथियां और अवधि समान नहीं हैं।

6. इस संदर्भ में, मैं केवल इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय का उल्लेख कर सकता हूँ, जिसका उद्धरण एफसीआई की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पट्टजोशी ने अपने तर्क के समर्थन में दिया था कि देरी को माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि देरी अधिवक्ता द्वारा की गई गलती के कारण हुई थी। श्री पट्टजोशी ने ***दिल्ली जल बोर्ड बनाम दिग्विजय सैनिटेशन व अन्य, 2009 (2) आर्ब. एलआर 576 (दिल्ली)*** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। माननीय न्यायमूर्ति एस.एन. ढींगरा के निर्णय में प्रतिध्वनित सिद्धांत, इस न्यायालय द्वारा निर्णय के बाद निर्णय में व्यक्त किए गए सिद्धांत से भिन्न नहीं है। इस प्रस्ताव पर कोई बहस नहीं कर सकता कि न्यायालय के पास पुनः दाखिल करने में देरी को माफ करने का अधिकार है, हालांकि, देरी को माफ करना है या नहीं, इसका निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उस मामले में न्यायालय ने स्पष्टीकरण को सही पाया, क्योंकि देरी का कारण यह था कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के रिश्तेदार यानी उसके चाचा को दिल का दौरा पड़ा था और ऐसा कुछ भी अभिलेख में नहीं था जिससे पता चले कि यह स्पष्टीकरण गलत था। यहाँ तथ्यात्मक स्थिति भिन्न है। स्पष्टीकरण, यदि इसे एक के रूप में लेबल किया जा सकता है, तो एक है,

जो क्लर्क को दोषी ठहराता है। क्लर्क का कोई शपथपत्र दायर नहीं किया गया है, जो कम से कम प्रथम दृष्टया प्रदर्शित करेगा कि अंतर.आ. सं. 20811/2013 में दिए गए कथन सही हैं। इसलिए, मेरे विचार में, ***दिल्ली जल बोर्ड बनाम दिग्विजय सैनिटेशन व अन्य*** के मामले में निर्णय अलग है।

7. उपर्युक्त कारणों से, मेरा विचार है कि पुनः दाखिल करने में देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया जाता है। अंतर.आ. सं. 20811/2013 खारिज किया जाता है।

<u>मू.वि.या. सं. 1278/2013</u>

8. ऊपर पारित आदेशों को देखते हुए, याचिका को खारिज करना होगा। तदनुसार आदेश दिया जाता है।

न्या. राजीव शकधर

20 दिसंबर, 2013
केके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*